निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 22/2025
दायरा दिनांकः–26.03.2025
निर्णय दिनांकः–30.5.25

उनवान

1. चन्द्रकला पुत्री रतनलाल
2. द्वोपती बाई पुत्री रतनलाल
3. मुरारी पुत्र रतनलाल
4. रामबाई पुत्री रतनलाल
5. शिवराज पुत्र रतनलाल जातियान चमार निवासीगण ग्राम कुंलिजरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः–30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 231/224 खसरा नम्बर 141/4 की रकबा 0.4806 हैक्टयर, भूमि ग्राम कुलिजरा मे स्थित है प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा निहित है सहखातेदार दाखाबाई की मृत्यु हो चुकी है। भूमि खाता संख्या 232/223 खसरा नम्बर 142 की रकबा 1.3532 हैक्टयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.1770 हैक्टयर, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.2023 हैक्टयर खसरा नम्बर 458 की रकबा 0.8979 हैक्टयर भूमि ग्राम कुलिजरा तहसील छबड़ा में स्थित है जिसमे नाबालिंग मुरारी लाल पुत्र रामलाल संरक्षक भाई शिवराज है जो वर्तमान मे मुरारीलाल बालिंग हो चुका है। मुरारी व शिवराज का हिस्सा 1/6 – 1/6 दर्ज है। भूमि खाता संख्या 231/224 में प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम रतनलाल है जो हल्का पटवारी द्वारा रतना दर्ज कर दिया है एंव भूमि खाता संख्या 232/223 मे प्रार्थीगण मुरारी व शिवराज के पिता का वास्तविक नाम रतनलाल है जिसे हल्का पटवारी द्वारा पिता का नाम रतनलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज कर दिया है जबकि समस्त दस्तावेजात मे रतनलाल नाम दर्ज है। वर्तमान में मुरारीलाल बालिंग हो चुका है जिसे भी खाते मे नाबालिंग शब्द हटाया जाना न्यायहित मे है प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात मे प्रार्थीगण के पिता का नाम रतनलाल दर्ज है इसलिए उक्त खाते मे रतना के स्थान पर रतनलाल व रामलाल के स्थान पर रतनलाल दर्ज किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...हित मे आवश्यक है। जब प्रार्थना पत्र पिता की नाम दुरुस्ती का तहसीलदार छबड़ा ...पास पेश किया तब हल्का पटवारी द्वारा 136 एल०आर०एक्ट का दावा पेश करने की कहने पर वाद कारण दिनांक 05/3/25 को उत्पन्न हुआ।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी कुंलिजरा तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 231 नकल जमाबन्दी कुंलिजरा तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 232 फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कुंलिजरा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीयागण के सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त विवादित आराजी खाता संख्या 231 में पिता का नाम रतनलाल के स्थान पर रतना दर्ज कर दिया है एवं खाता संख्या 232 में प्रार्थी मुरारी व शिवराज के पिता का नाम रतनलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज कर दिया है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम रतनलाल है प्रार्थीगण के अन्य समस्त दस्तावेजात में पिता का नाम रतनलाल दर्ज है। वर्तमान में मुरारीलाल वालिग है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाबालिग दर्ज है जिसे वालिग दर्ज किया जावें। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम रतना के स्थान पर रतनलाल व रामलाल के स्थान पर रतनलाल दर्ज किया जावें। प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंछित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम कुंलिजरा की भूमि खसरा नम्बर 141/4 रकबा 0.4806 है0 में वादीगण चन्द्रकला, द्वोपती पुत्री रतना, रामबाई पुत्री रतना, शिवराज , मुरारी पुत्र रतना, कोम चमार दर्ज है। एवं खसरा नम्बर 142, 412, 420, 458 किता 4 रकबा 2.6304 है0 में नाबानिग मुरारीलाल पुत्र रामलाल हिस्सा 1/4 शिवराज पुत्र रामलाल हिस्स 1/4 दर्ज है। वादीगण खसरा नम्बर 141/4 में अपने पिता का नाम रतना के स्थान पर रतनलाल एवं खसरा नम्बर 142, 412, 420, 458 में अपने पिता का नाम रामलाल के स्थान पर रतनलाल दर्ज करवाना चाहता है। ग्राम वासियों ने बताया कि रतना व रतनलाल दोनो एक ही व्यक्ति है रतन को रतनलाल के नाम से भी जानतें है किन्तु रामलाल को रतनलाल के नाम से नही जानतें है। वादीगण वर्तमान में ग्राम कुंलिजरा में निवास नही करतें है। इसलिए वादी मुरारीलाल के उम्र सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त नही हो पाए है। जिससे मुरारीलाल के वालिग होने सम्बन्धित जानकारी प्राप्त नही हो सकी है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कुंलिजरा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 231 में चन्द्रकला, द्वोपती बाई, रामबाई, पुत्री रतना,मुरारी शिवराज पुत्र रतना, दाखा बाई पत्नि रतना दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कुंलिजरा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 232 में नाबालिग मुरारीलाल पुत्र रामलाल शिवराज पुत्र रामलाल दर्ज रिकार्ड है प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड जाति प्रमाण पत्र

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...न पत्र आधार कार्ड, के अनुसार मुरारीलाल पुत्र रतनलाल दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ...र्ड एवं अन्य दस्तावेजात तथा तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के अनुसार खाता संख्या 231 में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रतनलाल है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम रतना दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा खाता संख्या 232 से सम्बन्धित ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया जिससे प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल के स्थान पर रतनलाल दुरूस्त किया जा सकें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खाता संख्या 231 ग्राम कुलिजरा में अंकित प्रार्थीगण के पिता का नाम रतना के स्थान पर रतनलाल दर्ज करने हेतु आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कुलिजरा खाता संख्या 231/224 के खसरा नम्बर 141/4 रकबा 0.4806 है0 में अंकित खातेदारों के पिता का नाम रतना के स्थान पर रतनलाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा